29.1.26

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधि- सं- 34-ए/ प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से शामिल किया गया। नोटिस से पा- हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

2025/380

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.29 19:13:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण सं. : 152/2025 Gcms:-2025/380 दायर दिनांक : 17.06.2025

1. राकेश पुत्र रामेश्वरलाल
2. कमला पत्नी रामेश्वरलाल

अकवाम सांसी साकिनान वार्ड नं. 11, महाजन हाल 2 एम.सी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. रामेश्वरलाल पुत्र सहीराम
2. रामीदेवी पुत्री हरीराम

अकवाम सांसी साकिनान वार्ड नं. 11, पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

3. विजय पुत्र मनीराम ज़ाति मेघवाल साकिन 7 बी.के.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपस्थित :
1. श्री कमल दत्त शर्मा, अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री राम प्रताप तिवाड़ी, अभिभाषक अप्रार्थीगण सं. 1 से 3
3. पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ़

निर्णय

दिनांक : 29.01.2026

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 92—ए, 88, 53, 188 व 209 आर.टी.ए., 1955 के साथ प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए., 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की दादी/सास सोना पत्नी सहीराम के नाम से वाके रोही करडू तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 71 के खाता सं. 470 के खसरा नं. 96 में 12.646 है० बारानी दोयम खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी, जो प्रार्थीगण के दादा/ससुर सहीराम से प्राप्त हुई थी। प्रार्थीगण के पिता/पति रामेश्वरलाल पुत्र सहीराम अप्रार्थी सं. 1 के नाम चक 2 एम.सी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 77 के खाता सं. 66/65 के पत्थर नं. 95/33 (71) के किला नं. 7—8/0.506 है0, 2 में 0.126 है0 = 0.632 है0 अनकमाण्ड खातेदारी भूमि व अप्रार्थी सं. 1 के नाम से इसी चक 2 एम.सी. के खाता सं. 68/65 के पत्थर नं. 95/33 (71) के किला नं. 1 से 5 = 1.265

क्रमशः ..... पेज 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.29 19:13:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

है0 अनकमाण्ड खातेदारी भूमि एवं अप्रार्थी सं. 3 के नाम से इसी चक 2 एम.सी. के खाता सं. 122/66 के पत्थर नं. 95/33 (71) के किला नं. 9/1 में 0.127 है0, 10–11/0.506 है0 = 0.633 है0 अनकमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण की दादी/सास सोना के नाम की उक्त भूमि में से 1/5 हिस्सा प्रार्थीगण के पिता/पति रामेश्वरलाल को विरासतन प्राप्त हुई जिसकी आमदनी व उक्त भूमि को बेचान कर अपने नाम से चक 2 एम.सी. के पत्थर नं. 95/33 (71) के किला नं. 7 से 11 = 1.265 है0 खातेदारी व अपने साथ अवैध रूप से रह रही अप्रार्थीया सं. 2 के नाम से इसी चक 2 एम.सी. के पत्थर नं. 95/33 (71) के किला नं. 1 से 5 = 1.265 है0 अनकमाण्ड खातेदारी भूमि खरीद की है जो पैतृक व सहदायी सम्पत्ति की श्रेणी में आती है जिसमें प्रार्थीगण का जन्म सिद्ध अधिकार है। प्रार्थीगण के पिता/पति रामेश्वरलाल ने अपनी उक्त खरीदशुदा भूमि में से चक 2 एम.सी. के पत्थर नं. 95/33 (71) के किला नं. 9/1 में 0.127 है0, 10–11/0.506 है0 = 0.633 है0 अनकमाण्ड खातेदारी भूमि अप्रार्थी सं. 3 विजय पुत्र मनीराम को बेचान कर दी है। प्रार्थीगण का पिता/पति रामेश्वरलाल लड़ाई–झगड़ा कर प्रार्थीगण को छोड़कर अप्रार्थीया सं. 2 के साथ रहने लग गया, जिसकी दिनांक 09.01.2001 को गांव महाजन में पंचायत हुई और पंचायत में जैरवाद भूमि प्रार्थी के नाम करवाने का कहकर, भूमि का कब्जा प्रार्थीगण को सौंप दिया। तब से प्रार्थीगण जैरवाद भूमि पर शांतिपूर्वक तरीके से काश्त करते आ रहे हैं और किला नं. 11 में ढ़ाणी बनाकर निवास कर रहे हैं व इस किला में ट्यूबवैल लगाकर सिंचाई सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। जैरवाद चक 2 एम.सी. के पत्थर नं. 95/33 (71) के किला नं. 1 से 5 = 1.265 है0 अनकमाण्ड भूमि का अप्रार्थीया सं. 2 के नाम से किया गया बैयनामा प्रार्थीगण के हकों पर निष्प्रभावी है, जबकि इस भूमि पर कब्जा काश्त प्रार्थीगण का है, इसलिए प्रार्थीगण ने अपने हकों की घोषणा एवं चिरस्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया है। जैरवाद भूमि में प्रार्थीगण को प्राप्त हक व हिस्सा हड़पने की गर्ज से अप्रार्थी सं. 1 उसे रहन–बैय करने पर उतारू है। यदि अप्रार्थी सं. 1 अपने मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। जैरवाद भूमि अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 के नाम से दर्ज होने के कारण अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रार्थीगण को बेदखल करने पर उतारू हैं। यदि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.29 19:13:40 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 3 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया तो प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा, जिसकी भरपाई रूपयों–पैसों से नहीं हो सकती। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण का बनता है एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है, इसलिए प्रार्थीगण ने जैरवाद भूमि वाके चक 2 एम.सी. तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 66/65 के पत्थर नं. 95/33 (71) के किला नं. 7–8/0.506 है0, 9/2 में 0.126 है0 = 0.632 है0 अनकमाण्ड खातेदारी भूमि व खाता सं. 68/65 के पत्थर नं. 95/33 (71) के किला नं. 1 से 5 = 1.265 है0 अनकमाण्ड खातेदारी भूमि एवं खाता सं. 122/66 के पत्थर नं. 95/33 (71) के किला नं. 9/1 में 0.127 है0, 10–11/0.506 है0 = 0.633 है0 अनकमाण्ड खातेदारी भूमि, इस प्रकार उक्त तीनों खातों की कुल 2.530 है0 अनकमाण्ड भूमि को वाद के निर्णय तक रहन–बेचान नहीं करने व प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभिभाषक प्रार्थीगण को इकतरफा सुना जाकर प्रार्थीगण के शपथ–पत्र पर प्रथम दृष्टया विश्वास करते हुए दिनांक 17.06.2025 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 को आगामी आदेश तक जैरवाद भूमि वाके चक 2 एम. सी. तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 66/65 के पत्थर नं. 95/33 (71) के किला नं. 7–8/0.506 है0, 9/2 में 0.126 है0 = 0.632 है0 अनकमाण्ड खातेदारी भूमि व खाता सं. 68/65 के पत्थर नं. 95/33 (71) के किला नं. 1 से 5 = 1.265 है0 अनकमाण्ड खातेदारी भूमि एवं खाता सं. 122/66 के पत्थर नं. 95/33 (71) के किला नं. 9/1 में 0.127 है0, 10–11/0.506 है0 = 0.633 है0 अनकमाण्ड खातेदारी भूमि, इस प्रकार उक्त तीनों खातों की कुल 2.530 है0 खातेदारी भूमि को रहन–बेचान नहीं करने व प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी नहीं करने तथा मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना–पत्र [illegible] किये। जवाब प्रार्थना–पत्र के साथ दस्तावेज बैयनामा स[illegible] घुकरो बहक रामेश्वरलाल, बैयनामा घुकरो बहक [illegible] एम.सी. सम्वत् 2074 से 77 खाता सं. 66/65 ओमप्रकाश पुत्र लालू[illegible] जमाबन्दी चक 2 एम.सी. सम्वत्

क्रमशः ..... पेज 4 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.29 19:13:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

2074 से 77 खाता सं. 68/65 ओमप्रकाश पुत्र लालूराम, जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 71 खाता सं. 470/454 व जमाबन्दी सम्वत् 2060 खाता सं. 414/415 बहक सोना पत्नी सहीराम की प्रतियां प्रस्तुत की।

अभिभाषक अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 ने फार्म सं. 3 के साथ नकल फर्द अहकाम दिनांक 21.08.2025 बअनवान रामेश्वर आदि बनाम राकेश आदि माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर प्रस्तुत की जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

जवाब प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैरवाद भूमि वाके चक 2 एम.सी. तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 66/65 के पत्थर नं. 95/33 (71) के किला नं. 7–8/0.506 है0, 9/2 में 0.126 है0 = 0.632 है0 अनकमाण्ड खातेदारी भूमि व खाता सं. 68/65 के पत्थर नं. 95/33 (71) के किला नं. 1 से 5 = 1.265 है0 अनकमाण्ड खातेदारी भूमि एवं खाता सं. 122/66 के पत्थर नं. 95/33 (71) के किला नं. 9/1 में 0.127 है0, 10–11/0.506 है0 = 0.633 है0 अनकमाण्ड खातेदारी भूमि पैतृक श्रेणी की भूमि है जिसमें प्रार्थीगण ने अपने हकों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया है। जैरवाद भूमि पर कब्जा काश्त प्रार्थीगण का है, लेकिन अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 के नाम से दर्ज होने के कारण अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी करने का प्रयास कर रहे हैं और प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते हैं, इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर दिनांक 17.06.2025 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की मियाद ताफैसला वाद बढ़ाये जाने की प्रार्थना की।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करवाया व जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रोही करड़ू के खसरा नं. 96 में 12.646 है0 भूमि अप्रार्थी सं. 1 की माता सोना देवी स्वयं को आवंटन हुई थी, ना कि पति सहीराम से विरासतन मिली। यदि [illegible] तो सभी वारिसान का इस भूमि में हिस्सा अंकित होता [illegible] अप्रार्थी सं. 1 [illegible] नाम भी जमाबन्दी में अंकित होता। अप्रार्थी सं. 1 सन् 19[illegible] से नौकरी करता है व अपनी मेहनत की कमाई से चक 2 एम.सी. में 1.265 है0 भूमि खरीद की है, जो स्वयं की पैदाकर्ता सम्पत्ति है व

क्रमशः ..... पेज 5 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.29 19:13:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उसमें से 0.633 है0 भूमि बेचान कर दी, इसमें प्रार्थीगण का अप्रार्थी सं. 1 के जीवनकाल में कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होता। सोना देवी ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु अपनी 50 बीघा आवंटित भूमि में से 10 बीघा अप्रार्थीया सं. 2 को बेचान कर दी व 40 बीघा भूमि अप्रार्थी सं. 1 को छोड़कर अन्य पुत्र/पुत्रवधुओं देवीलाल पुत्र सहीराम के नाम 2.530 है0 जरिये इन्तकाल सं. 1088/20.07.2013, जाकोदेवी पत्नी राजूराम के नाम 2.530 है0 जरिये इन्तकाल सं. 1812/21.04.2022 व हंसराज पुत्र सुखराम, सुशील कुमार पुत्र भादरराम के नाम 5.056 है0 जरिये इन्तकाल सं. 1949/09.06.2023 दान कर दी। इस प्रकार सोना देवी के नाम समस्त भूमि में अप्रार्थी को कोई भूमि या रूपया नहीं मिला। सोना देवी ने उक्त भूमि सन् 2010 में 80,000/–रू. में बेचान की। सोना देवी के पांच वारिस हैं व सोना देवी सहित कुल 6 होते हैं। यदि भूमि बेचान में अप्रार्थी सं. 1 को हिस्सा मिलना मान भी लिया जाये तो 1/6 हिस्सा में अप्रार्थी सं. 1 को 13,000/–रू. मिलते हैं और अप्रार्थी सं. 1 सन् 2014 में 1,37,619/–रू. में भूमि खरीद कर रहा है। यह कैसे सम्भव होगा कि अप्रार्थी सं. 1 ने पैतृक सम्पत्ति से भूमि खरीद की है। अप्रार्थी सं. 1 ने बाहर रहकर मेहनत करके व बाद में नौकरी करके दो रूपया जोड़कर भूमि खरीद की है। अप्रार्थी सं. 2 ने चक 2 एम.सी. के पत्थर नं. 95/33 (71) के किला नं. 1 से 5 = 1.265 है0 खातेदारी भूमि जरिये बैयनामा 12.08.2014 को घुकरो पत्नी रामनारायण से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है, जो अप्रार्थीया की स्वयं पैदाकर्ता सम्पत्ति है। प्रार्थीगण को इससे कोई लेना–देना नहीं है व ना ही प्रार्थीगण का इस पर कब्जा है। इस पर अप्रार्थीया सं. 2 स्वयं का कब्जा है व काश्त हेतु हिस्सा पर दे रखी है। प्रार्थीगण बहुत ही झगड़ालू हैं व अप्रार्थी सं. 1 के साथ हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, इसलिए वे काफी वर्षों से अप्रार्थी से अलग अन्यत्र रहते हैं। हमेशा रूपयों–पैसों की मांग करते रहते हैं। अप्रार्थी सं. 1 अकेला अपना जीवनयापन कर रहा है। अप्रार्थीया सं. 2 का अपना निजी जीवन है, वह भला किस नाते अप्रार्थी सं. 1 के साथ रहेगी। अप्रार्थी सं. 1 का अप्रार्थीया सं. 2 से कोई लेना–देना नहीं है। जैरवाद भूमि अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 के नाम दर्ज है, जो खातेदार व [illegible] काबिज काश्त हैं। यदि कोई अनाधिकृत व्यक्ति खातेदार की भूमि [illegible] प्रवेश कर कब्जा करता है तो खातेदार को कानून सम्मत अधिकार है कि वह अपनी भूमि से अनाधिकृत

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.29 19:13:40 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 6 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

व्यक्ति को हटाये। प्रार्थीगण स्थगन की आड़ में अप्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। स्थगन से अप्रार्थीगण के कृषि विकास कार्य प्रभावित होंगे। जब भूमि प्रार्थीगण की नहीं है तो उन्हें ना पूरा होने वाला नुकसान कैसे होगा, जबकि ना पूरा होने वाला नुकसान अप्रार्थीगण को हो रहा है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण का नहीं, अप्रार्थीगण का बनता है एवं सुविधा व सन्तुलन अप्रार्थीगण के हक में अधिक है, इसलिए पूर्व में जारी स्थगन आदेश निरस्त कर प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. निरस्त करने की प्रार्थना की।

बहस का श्रवण करने के उपरान्त बहस के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण के नाम अंकित खातेदारी कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया है और वाद के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. प्रस्तुत कर वाद निर्णय तक अप्रार्थीगण के नाम अंकित खातेदारी कृषि भूमि को रहन–बेचान नहीं करने व मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने की प्रार्थना की है। पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार जैरवाद खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 द्वारा पंजीबद्ध बैयनामों के द्वारा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया हुआ है। प्रार्थीगण के हकों का निर्णय वाद में होना है। वाद निर्णय में समय लगना स्वाभाविक है। अप्रार्थीगण खातेदार कृषक हैं। खातेदार कृषक के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी करने से कृषि सुधार कार्य प्रभावित होने की पूरी–पूरी संभावना है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण का नहीं, अप्रार्थीगण का बनना प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार पूर्व में दिनांक 17.06.2025 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त करते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब [illegible] हो।

आज दिनांक 2[illegible].01.2026 [illegible] मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.29 19:13:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)